

मेवाड़ राज्य पर ब्रिटीश संरक्षण संधि का समग्र प्रभाव – एक ऐतिहासिक अध्ययन

सुरेश जोशी
शोधार्थी
इतिहास विभाग
बी. एन. विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER / ARTICLE, HEREBY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/ OTHER REAL AUTHORARIES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR. PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL.

सारांश — ईस्ट इण्डिया कम्पनी से संरक्षण प्राप्त मेवाड़ राज्य में अराजकता व लूट-खसोट का अन्त हो गया और सर्वत्र शान्ति और कानून की व्यवस्था स्थापित हो गई। अंग्रेजों के आधिपत्य से राजस्थान में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। विदेशी सत्ता, संस्कृति तथा आचार-विचार का प्रभाव राजस्थान के जनजीवन पर शनै-शनै पड़ने लगा। आगे चलकर राजस्थान के राजनीतिक, धार्मिक सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली परिवर्तन आये। इस काल तक राजा महाराजा शक्तिविहीन हो चले थे। उनके प्राचीन गौरव की गरिमा गिर चुकी थी। मेवाड़ महाराणा ने सन्धि द्वारा एक प्रकार से अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया। फलतः उन्होंने सार्वभौमिकता के समस्त अधिकार खो दिये। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ी जनता का शोषण आरम्भ हो गया। कम्पनी सरकार और राजस्थानी राज्यों के बीच हुई संन्धियों द्वारा राजपूत शासकों की बाह्य स्वतंत्रता तो समाप्त हो गयी थी और आन्तरिक प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप से आन्तरिक प्रभुसत्ता धीरे-धीरे समाप्त हो गयी। शासन के प्रति उदासीन शासकों के पास भोग-विलास तथा आमोद-प्रमोद के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं रह गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने आर्थिक हितों के लिए राजस्थानी राजाओं का आर्थिक शोषण किया तथा 1817–18 ई. की संधियों की ऐसी धाराओं

का सहारा लेकर अथवा उनका मनमाना अर्थ लगाकर जो राज्यों के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान में ब्रिटिश—विरोधी वातावरण तैयार होना स्वाभाविक ही था।

कीवर्ड—मेवाड़ राज्य ,ब्रिटीश संरक्षण संधि, 22 जनवरी 1818, संधि का प्रभाव, मराठा, पिण्डारियों, अराजकतापूर्ण काल, समाज के विभिन्न वर्गों, राजस्थान के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक क्षेत्रों में, प्रभावशाली परिवर्तन।

मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक रियासत थी। इसमें वर्तमान में उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ (पिरावा तहसील) जिले राजस्थान का नीमच और मंदसौर और गुजरात के कुछ हिस्से शामिल हैं। पूर्ववर्ती मेवाड़ राज्य 23°49' एन से 25°28' एन अक्षांश से 73°7' ई से 75°49' ई देशान्तर के बीच स्थित था। मेवाड़ क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के उत्तर—पश्चिम, अजमेर से उत्तर, गुजरात और दक्षिण में राजस्थान के वागड़ क्षेत्र, मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र से दक्षिण पूर्व और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से पूर्व में स्थित है।

मेवाड़ में जैत्रसिंह से लेकर महाराणा राजसिंह तक लगभग 450 वर्ष के समय में मेवाड़ के राजाओं ने मुसलमानों से अनेक लड़ाईयां लड़ी थीं। किन्तु मेवाड़ का बल क्षीण नहीं हुआ था। मराठों ने मात्र 60 वर्ष में मेवाड़ को पूरी तरह उजाड़ कर वीर भूमि से वीरान भूमि बना दिया। 1817 ई. तक मेवाड़ उस मोड़ पर जा पहुंचा था कि यदि तत्काल ही किसी बाह्य शक्ति का सहारा नहीं मिला तो राज्य कि पूरी तरह नष्ट हो जाने की आशंका थी। मराठों और पिण्डारियों से छुटकारा पाने हेतु मेवाड़ राज्य ने अंग्रेजों के साथ संरक्षण संधि स्वीकार की।

मराठा शक्ति को कुचलने और पिण्डारियों के आतंक को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से राजपूत राज्यों के साथ मित्रता की संधियां कर उन्हें अपने संरक्षण में लेने की ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अपनाई गई नीति के फलस्वरूप 15 नवम्बर 1817 को करौली राज्य के साथ संधि की गई। फिर 26 दिसम्बर 1817 ई को कोटा राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। इसके बाद एक—एक कर अन्य राज्यों और मेवाड़

राज्य ने 22 जनवरी 1818 को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ संधि कर कम्पनी का संरक्षण प्राप्त कर लिया। इस तरह मेवाड़ में अराजकतापूर्ण काल का अन्त हुआ और सर्वत्र शान्ति स्थापित की गई। इस प्रकार 1818 ई. में अंग्रेजों का राजस्थान में जो आधिपत्य स्थापित हुआ वह 1947 ई. में भारत के स्वाधीन होने तक अक्षुण्ण बना रहा। मराठों के अराजकता वर्षों के पश्चात् संगठित विदेशी औपनिवेशिक शक्ति के साथ मजबूरन की गई संधियों से राजपुताना में एक नये युग की शुरूआत हुई मेवाड़ इससे अलग नहीं रहा तथा इस सम्पर्क का आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर दूरगामी व स्थायी प्रभाव पड़ा जिससे न केवल मेवाड़ की सार्वभौमिक एकता का विघटन हुआ बल्कि संधियों से आन्तरिक स्वायतत्त्व, राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रशासन एवं उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

अप्रत्यक्ष रूप से लम्बे काल से चली आ रही राजनैतिक सामाजिक व आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आया जैसे सैनिक सेवा के बदले राजस्व भूमि के बदले सैनिक सहयोग समाप्त होना, अपितु वर्ष पर्यन्त ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को सम्भालने का कार्य समाज के विभिन्न वर्ग उसी व्यवस्था पर टिके हुए थे। एक ईकाई के रूप में 1818 की संधि के परिणामस्वरूप मेवाड़ के शासकों ने राजस्व भूमि अंग्रेजों को सैनिक संगठन खड़ा करने के लिए सौंप दी जिससे सैन्य सेवा पर आधारित सामन्त व सैनिक वर्ग तक भूमि विहीन एवं बेरोजगार होना। उस पर आधारित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था का छिन्न-भिन्न होना उपरोक्त स्थिति मेवाड़ के भारत में विलय के उपरान्त भी नहीं सुधरी।

सन् 1818–1947 ई. तक हासिये में गये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की राजनैतिक भागीदारी अत्यन्त सीमित हो गई और इसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से पड़ा। भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें तथा 3 ठिकाने एवं अजमेर–मेरवाड़ा अंग्रेजों के अधीन होने के कारण एक केन्द्र शासित प्रदेश था।

सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में दिनांक 1 नवम्बर 1956 ई. को राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ और राजस्थान को 'बी' श्रेणी का राज्य तथा बाद में 'ए' श्रेणी का राज्य बना दिया गया।

मेवाड़ के केन्द्रीय शक्तियों के साथ सम्बन्ध मध्यकाल से ही रहे हैं। किन्तु औपनिवेशिक काल से वर्तमान तक उन संघियों के सम्बन्धों का विश्लेषण करना ही प्रस्तावित शोध का प्रमुख उद्देश्य है। संवैधानिक प्रावधानों से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था से समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति पर प्रभाव पड़ा उसका अभी तक के शोध कार्य में कोई स्थान नहीं जबकि अत्यधिक प्राथमिक स्त्रोत तथा पुरातात्त्विक स्त्रोत के अतिरिक्त विस्तृत सरकारी रिपोर्ट उपलब्ध हैं। समाचार पत्र, सरकारी आदेश, घोषणाएं, लेख उपलब्ध हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी से संरक्षण प्राप्त मेवाड़ राज्य में अराजकता व लूट-खसोट का अन्त हो गया और सर्वत्र शान्ति और कानून की व्यवस्था स्थापित हो गई। अंग्रेजों के आधिपत्य से राजस्थान में युगान्तकारी परिवर्तन हुए। विदेशी सत्ता, संस्कृति तथा आचार-विचार का प्रभाव राजस्थान के जनजीवन पर शनै-शनै पड़ने लगा। आगे चलकर राजस्थान के राजनीतिक, धार्मिक सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली परिवर्तन आये। इस काल तक राजा महाराजा शक्तिविहीन हो चले थे। उनके प्राचीन गौरव की गरिमा गिर चुकी थी।

मेवाड़ महाराणा ने सन्धि द्वारा एक प्रकार से अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया। फलतः उन्होंने सार्वभौमिकता के समस्त अधिकार खो दिये। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ी जनता का शोषण आरम्भ हो गया। मेवाड़ महाराणा अंग्रेजों के संरक्षण में अपनी प्रशासनिक कुशलता और दक्षता खो बैठे।

समग्र प्रभाव —

1818 से 1947 तक अंग्रेजी सर्वोच्चता एवं संघियों का शासकीय वर्ग के अतिरिक्त कुलीन वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में गिरावट आई। मेवाड़ के भारतीय संघ में विलय के बाद निम्न वर्ग के साथ

विभिन्न वर्गों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रथम आम चुनाव से वर्तमान काल तक मेवाड़ के विभिन्न वर्गों की केन्द्रीय शासन में भागीदारी नगण्य रही। औपनिवेशिक शक्तियों के सम्बन्ध में 1818 की संधि मेवाड़ की सार्वभौमिकता व रचनात्मक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- आसेरी, संतोष कुमारी (2013) “राजस्थान प्रतिनिधि संस्थाओं का इतिहास (मेवाड़ के विशेष संदर्भ में) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 29–30
- बैंस, सुखबीर सिंह (2006) “मध्य भारत की देशी रियासतों में ब्रिटीश हस्तक्षेप” राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 132–135
- पालीवाल, देवीलाल, माथुर गिरीशनाथ (2006) “मेवाड़ का इतिहास (1818 से 1854 ई.) राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर पृ.सं. 79–82
- शर्मा कालुराम/व्यास प्रकाश (2000) “राजस्थन का इतिहास (1433–1900 ई.) पंचशील प्रकाशन, जयपुर पृ.सं. 196–197
- वधेला, हैतसिंह (2005) “राजस्थान के इतिहास की रूप रेखा(प्रारम्भ से 1949 तक) विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. सं. 191–195
- गुप्ता, के. एस./ओझा जे.के. (1986) “राजस्थान का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास” राजधानी ग्रन्थागार जोधपुर पृ. सं. 136–138
- व्यास, गोपाल (1989) मेवाड़ का सामाजिक एवं आर्थिक विकास (18वीं एवं 19वीं शताब्दी) राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्लीपृ. सं. 96–99
- बागड़ी, राजेन्द्रसिंह (2015) राजस्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुरपृ.सं. 129–130